

Date: 11th December 2025

To,

THE STOCK EXCHANGE MUMBAI,
Phroze Jeejeebhoy Towers,
Dalai Street, Mumbai-400 011

BSE SCRIP SYMBOL: KATIPATANG
BSE SCRIP CODE: 531126

SUB: Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/ Ma'am,

We hereby enclose an approval letter from Excise Department- Chhatisgarh dated 10th December 2025 approving Brand/ Label registration for retail sale in the state for the product of material subsidiary company " Emphyrean Spirits Private Limited ". As such, our mentioned subsidiary company is now licensed to sale its specific product in the state.

Please take the above on records.

Thanking you

FOR KATI PATANG LIFESTYLE LIMITED

(SANJEEV K JHA)
COMPANY SECRETARY
FCS: 8690

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002
(ई-मेल :: cg-excise@cg.gov.in)

—00—

File No. GENS-2101/1500/2025-EXCISE

नवा रायपुर, दिनांक 10.12.2025

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष अवधि के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट/माल्ट) के विभिन्न ब्राण्ड/लेबलों के लिए फुटकर विक्रय दर का निर्धारण करने बाबत।

संदर्भ :- आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/आब./आस./2025/6623, दिनांक 28.10.2025

—:0:—

राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 के शेष अवधि के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट/माल्ट) के विभिन्न ब्राण्ड/लेबलों के लिए फुटकर विक्रय दर संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता है।

2/ वर्ष 2025-26 के समस्त विदेशी मदिरा के फुटकर लाससेंसी को फुटकर विक्रय दर की सूचना दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(देवेन्द्र सिंह भारद्वाज)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

File No. GENS-2101/1500/2025-EXCISE

नवा रायपुर, दिनांक 10.12.2025

प्रतिलिपि -

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
3. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सह अध्यक्ष, सी.एस.एम.सी.एल., रायपुर।
4. आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।
5. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
7. अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी मुख्यालय।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., आबकारी भवन, लाभांडी, रायपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर।
10. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग रायपुर/बिलासपुर/बस्तर/दुर्ग/सरगुजा।

....2/

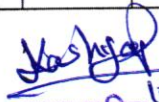
11. उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
12. समस्त जिला प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी, छत्तीसगढ़।
13. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़।
14. महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कृपया फुटकर विक्रयदर को निगम के गोदामों में संग्रहित मदिरा के लेबल पर सुस्पष्ट बड़े अंकों में दर्शित स्टिकर चस्पा करने के उपरांत ही विदेशी मदिरा की दुकानों के लिये प्रदाय दें। मदिरा दुकान निरीक्षण दौरान मदिरा के बोतल में सुस्पष्ट बड़े अंको में दर्शित स्टिकर चस्पा होना नहीं पाये जाने पर संबंधित गोदाम प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। गोदाम प्रभारियों को यह निर्देशित करें तथा उसकी एक प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ को पृष्ठांकित करें।
15. गोदाम प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, सिलतरा गोदाम, रायपुर, सिरगिट्टी गोदाम, बिलासपुर एवं अरसनारा गोदाम, दुर्ग।
16. समस्त प्रभारी अधिकारी, विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई, छत्तीसगढ़, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. समस्त महाप्रबंधक/समस्त उप महाप्रबंधक/समस्त प्रबंधक/उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं मदिरा दुकानों में मदिरा के बचत स्कंध में उक्त ब्राण्ड/लेबल के वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि हेतु निर्धारित फुटकर विक्रय दर का स्टीकर लगाने के पश्चात् ही नवीन दर पर मदिरा विक्रय सुनिश्चित करें।
18. संबंधित समस्त विनिर्माता कम्पनी/बॉटलिंग इकाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। व्यवस्थापन नियम, 2018 के नियम 9 के अनुसार विदेशी मदिरा के प्रत्येक प्रकार के नाम पत्रों (लेबलों) में फुटकर विक्रय दर अंकित करने की पाबंदी बरती जावे।
19. रिकॉर्ड फाईल।


10-12-25
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
आणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

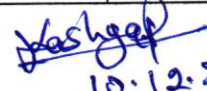
**वर्ष 2025-26 के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट) के ब्राण्ड/लेबल वार
फुटकर विक्रय दर**

क्र.	विनिर्माता कम्पनी का नाम	कैटेगरी	ब्राण्ड	लेबल का नाम	पैक साईज	धारण क्षमता	वर्ष 2025-26 के लिए नवीन फुटकर विक्रय दर प्रति नग
1	2	3	4	5	6	7	8
(iii) भण्डागार प्रदाय दर (काउन्टरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर 1251/- से 1850/- प्रति पेटी तक) ड्यूटी रुपये 805/- प्रति प्रूफ लीटर							
1	A ONE WINERIES	IMFL	whisky	WILD BEAST WHISKEY	750ML	QTS	800
2	A ONE WINERIES	IMFL	whisky	WILD BEAST WHISKEY	375ML	PINT	400
3	A ONE WINERIES	IMFL	whisky	WILD BEAST WHISKEY	180ML	NIP	200
(ix) भण्डागार प्रदाय दर (काउन्टरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर 8501/- से 11000/- प्रति पेटी तक) ड्यूटी रुपये 1335/- प्रति प्रूफ लीटर							
1	ARDENT ALCOBEV PRIVATE LIMITED	FMFL-BIO	whisky	Drambell Premium Blended Scotch Whisky	700ML	QTS	2380
2	ARDENT ALCOBEV PRIVATE LIMITED	FMFL-BIO	whisky	Drambell Reserve Blended Scotch Whisky	700ML	QTS	2670
(x) भण्डागार प्रदाय दर (काउन्टरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर 11001/- और उससे अधिक प्रति पेटी तक) ड्यूटी रुपये 1400/- प्रति प्रूफ लीटर							
1	Piccadilly Agro Industries Limited	IMFL	Rum	CAMIKARA AGRICOLE RUM CASK 3YO AGED	750ML	QTS	2700


 10.12.25
 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

**वर्ष 2025-26 के लिए विदेशी मदिरा (माल्ट) के ब्राण्ड/लेबल वार
फुटकर विक्रय दर**

क्र.	विनिर्माता कम्पनी का नाम	केटेगरी	ब्राण्ड	लेबल का नाम	पैक साईज	धारण क्षमता	वर्ष 2025-26 के लिए नवीन फुटकर विक्रय दर प्रति नग
1	2	3	4	5	6	7	8
(ii) भण्डागार प्रदाय दर (काउन्टरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रुपये 140/- रुपये प्रति बल्क लीटर							
1	EMPYREAN SPIRITS PRIVATE LIMITED	MALT-BIO	Beer	BAREILLY EXTRA BOLD PREMIUM STRONG BEER	650ML	QTS	220


 10.12.25
 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर